न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस

मुकदमा नं0 316/2022

1. मूराराम पुत्र सुवा उर्फ सुवालाल उर्फ सुवाराम
2. रामफूल पुत्र सुवा उर्फ सुवालाल उर्फ सुवाराम
3. गोपाल पुत्र सुवा उर्फ सुवालाल उर्फ सुवाराम
4. मेवाराम पुत्र सुवा उर्फ सुवालाल उर्फ सुवाराम
5. कालूराम पुत्र सुवा उर्फ सुवालाल उर्फ सुवाराम
   समस्त जाति जाट नि0 वार्ड नं0 18 प्लाट नं0 154 गिरधारीपुरा हीरापुरा अजमेर रोड जयपुर।
6. तुलसी देवी पुत्री सुवा उर्फ सुवालाल उर्फ सुवाराम पत्नि श्री गोपाल लाल चौधरी नि0 डाबला खुर्द मोहब्बतपुरा सांगानेर जयपुर।
7. सरजू देवी पुत्री सुवा उर्फ सुवालाल उर्फ सुवाराम पत्नि छीतरमल जाट नि0 जाट कालोनी अजमेर रोड भांकरोटा तहसील सांगानेर जयपुर।

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोबनेर राज0।

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,91 आर0टी0ए0

उपस्थित :– 1. श्री योगेश शुक्ला विद्वान अधिवक्ता वादीगण

दिनांक :– 23/04/2025

निर्णय

वादीगण द्वारा वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी ख0न0 54 रकबा 1.5553 है0 बारानी–1, खसरा नं0 55/1 रकबा 0.5564 है0 बारानी–2 कुल किता 2 कुल रकबा 2.1117 है0 जो वाके ग्राम ढीण्ढा पटवार हल्का ढीण्ढा तहसील जोबनेर मे स्थित है जिसमे प्रार्थीगण के पिता सुवा पुत्र बोदू के नाम राजस्व रिकार्ड मे 1/4 हिस्सा दर्ज है। व 1/4 हिस्से पर काबिज है। जिसके जरिये बेचान पत्र को खरीद किया था। इसी प्रकार ख0न0 74 रकबा 4.6534 है0 बारानी–2 कुल किता 1 कुल रकबा 4.6534 है0 जो वाके ग्राम ढीण्ढा

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

तहसील जोबनेर जिला मे स्थित है जिसको वादीगण के पिता सुवाराम पुत्र बोदू के जरिये बेचान पत्र दिनांक 24/6/1999 को खरीद किया था जिसमे वादी के पिता का नाम सहवन से सुवालाल पुत्र रामचन्द्र अंकित हो गया है। उक्त ख0न0 मे वादी के पिता का 1/4 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार ख0न0 72 रकबा 1.3277 है0 बारानी–2 व ख0न0 75 रकबा 0.4426 है0 बारानी–2 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7703 है0 जो वाके ग्राम ढीण्ढा मे स्थित है जिसको वादीगण के पिता सुवाराम पुत्र बोदू ने दिनांक 24/6/1999 को जरिये विक्रय विलेख खरीद किया था जिसमे भी सहवन से टाईप की गलती से वादीगण के पिता का नाम सुवाराम पुत्र रामचन्द्र अंकित हो गया है। उक्त ख0न0 मे वादीगण के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड मे 1/4 हिस्सा दर्ज है। व इसी प्रकार ख0न0 73 रकबा 2.1876 है0 बारानी–2 कुल किता 1 कुल रकबा 2.1876 है0 जो वाके ग्राम ढीण्ढा तहसील जोबनेर मे स्थित है जिसमे वादीगण के पिता का 1/12 हिस्सा दर्ज है जिसको वादीगण के पिता सुवाराम पुत्र बोदू ने जरिये विक्रय विलेख दिनांक 24/6/1999 को खरीद किया था जिसमे भी सहवन से टाईप की गलती से वादीगण के पिता के नाम सुवाराम पुत्र रामचन्द्र अंकित हो गया है। यह कि राजस्व रिकोर्ड से सुवाराम पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर सुवाराम की वल्दियत बोदूराम अंकित किया जाना न्यायोचित व युक्तिसंगत है। आराजीयान को किशनाराम पुत्र रामचन्द्र व सुवाराम पुत्र बोदूराम ने संयुक्त रूप से जरिये बेचान खरीद किया था और विक्रय विलेख भी संयुक्त रूप से तैयार कराये गये थे किशनाराम व सुवाराम परिवार मे काका बाबा मे भाई लगते थे। दस्तावेज विक्रय विलेख टाईप करते समय टाईप की गलती से उक्त किशनाराम व सुवाराम दोनो के पिता का नाम सहवन से एक ही रामचन्द्र अंकित कर गया। जबकि किशनाराम पुत्र रामचन्द्र व सुवाराम पुत्र बोदू राम अंकित किया जाना था। उपरोक्त गलती टाईप की गलती से हुई है। जिसको दूरूस्त किया जाना न्याय संगत है। वादीगण की माता की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण के पिता सुवा पुत्र बोदू का स्वर्गवास हो गया है। जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र सुवालाल पुत्र बोदू के नाम से जारी किया गया। चूंकि कुछ राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के पिता का नाम सुवा पुत्र बोदू व कुछ राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के पिता का नाम सुवाराम पुत्र रामचन्द्र अंकित है जिनका फौती का नामान्तकरण खुलवाने मे प्रार्थीगण वादीगण को परेशानी का सामना करना पड रहा है जिसके कारण उपरोक्त दुरूस्ती इन्द्राज के यह वाद पत्र पेश किया जाना आवश्यक है। वादीगण का वाद घोषणा नाम दुरूस्ती इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि आराजी खसरा न0

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

72,733,74,75 जो वाके ग्राम ढीण्ढा की राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी मे वादीगण के पिता का नाम जो सुवाराम पुत्र रामचन्द्र अंकित है के स्थान पर सुवाराम पुत्र बोदू दुरूस्ती इन्द्राज फरमाया जावे। व इस आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे। व वर्तमान चालू राजस्व अभिलेखो मे अमद दरामद हेतु तहसीलदार सांभरलेक को आदेश फरमाया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 11/02/2025 को जवाब तथा फर्द मौका रिपोर्ट इस आशय की ग्राम ढीण्ढा प.ह. ढीण्ढा खाता सं0 164, 165, 166 मे वादी का नाम सुवाराम पि0 रामचन्द्र दर्ज है। जिसको वादी भूराराम पि0 सुवा, सुवाराम पि0 रामचन्द्र के बजाय सुवाराम पि0 बोदूराम का अंकन हेतु बार प्रस्तुत किया गया। बिंदू सं0 1 के परिपक्ष मे मुताबिक दस्तावेज से जाहिर आया कि ग्राम ढीण्ढा प.म. ढीण्ढा के खाता सं0 121, 122, 123 मे सुवा पि0 बोदू दर्ज था जोकि जरिये विकय पत्र दिनांक 9/7/1991 के द्वारा नामा0 सं0 308, 309, 310, 312 के जरिये अमल दरामद हुआ। जिसमे घासी पुत्र गणेश, किशना पुत्र रामचन्द्र के नाम भी अंकन हुआ। नामा0 सं0 307, 311, 313 के जरिये किशना पुत्र रामचन्द्र घासी पुत्र गणेश के नाम भी अमल दरामद हुआ जो कि सहखातेदार है। बिंदू सं0 02, 03 के अनुसार सुवा पि0 बोदू, घीसा, पि0 गणेश, किशना पि0 रामचन्द्र के वारिसान नामा0 से वारिसान के अमल दरामद हो चूका है। बिंदू सं01 के अनुसार खा0सं. 164, 165, 166 मे जरिये विकय पत्र के नामा सं0 441, 442, 531 के किशनाराम सुवाराम पि0 रामचन्द्र के नाम अमल दरामद हुआ। जो कि विकय पत्र अनुसार सही अंकन हुआ। लेकिन उपस्थित मे बताया कि किशनाराम के पिता का नाम रामचन्द्र था। जो कि वक्त विकय पत्र के सहवन से सुवाराम के पिता का नाम भी रामचन्द्र दर्ज हो गया। वाद के संबंध मे सुवाराम के वारिसान द्वारा वोटर आई डी, आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया। जिनमे सुवालाल पि0 बोदूराम के नाम से बने हुये है। वादी भूराराम जो कि सुवा का पुत्र है। सुवा पि0 बोदू के वारिसान का ग्राम ढीण्ढा के खाता सं0 121, 122, 123 मे नामांतरण स्वीकृत होकर अमल दरामद हो गया। मौके पर नामा. सं 441, 442, 531 मे सुवाराम पि0 रामचन्द्र के अलावा किशना पिता रामचन्द्र का भी जरिये अमल दरामद हुआ। जिनके वारिस भी मौके पर उपस्थित मिलें। किशना के वारिसान द्वारा बताया गया कि उनके दादा का नाम रामचन्द्र था। जबकि सुवा के पिता का नाम बोदूराम था। जो कि एक साथ विकय पत्र निस्पादन कराने के कारण सुवा के पिता का नाम रामचन्द्र दर्ज हो गया जो कि गलत है। मौके पर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

उपस्थित अन्य मौतवीरानों ने भी सुवाराम के पिता का नाम वोदूराम ही ना बताया।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया है। तथा वादीगण का वाद मुताबिक वादपत्र डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जवाब तहसीलदार एवं फर्द मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। आराजी खसरा नम्बर 72, 73, 74, 75 ग्राम ढीण्डा तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें वादीगण के पिता का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हिस्सा दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता का नाम सुवालाल पुत्र रामचन्द्र दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेज यथा मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं निर्वाचन पहचान पत्र में वादीगण के पिता नाम सुवाराम पुत्र वोदू दर्ज है। ग्राम में उपस्थित मौतविरानों ने बताया है कि वादीगण के पिता सुवाराम के पिता का नाम वोदूराम है। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण वादीगण को सुविधाओं से वंचित रहना पड रहा है। जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाता है। वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड आराजी खसरा नम्बर 72, 73, 74, 75 वाके ग्राम ढिण्डा तह0 जोबनेर में सुवालाल पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर सुवालाल पुत्र वोदू दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

निर्णय आज दिनांक 23/04/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

क्रियात्मक आदेश में सुवालाल पुत्र वोदू के स्थान पर सुवाराम पुत्र वोदू पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर